कार्यालय सहायक निदेशक निर्माण एवं संयंत्र– प्रथम (निर्माण)
गो.ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर

पत्रांकः स.नि.–प्रथम/71

दिनाँकः 07.09.2021

निविदा सूचना

इस विश्वविद्यालय एवं राजकीय एजेंसियों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से **दिनाँक 28.09.2021 को सांय 5.00 बजे तक खरीदे जा सकते हैं।** मुहरबन्द निविदायें दिनाँक 29.09.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा निविदा पेटिका में प्राप्त की जायेंगी। निविदायें दिनाँक 29.09.2021 को ही अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निर्धारित दिनाँक व समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं एवं शर्तयुक्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि नकद जमा प्रपत्र अथवा बैंक सावधि प्रतिभूति के रूप में जो नियंत्रक, गो. ब. पन्त एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नाम देय होगी। रू. 100 (एक सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर रू. 1.00 (एक रूपया मात्र) का राजस्व टिकट चस्पा कर हस्ताक्षर करके, निविदा के मुहरबन्द लिफाफे से अलग लिफाफे में मुहरबन्द कर देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुरूप न होने पर बिना कारण बताये विश्वविद्यालय को एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की वैधता चार माह होगी। सरकारी संस्थायें निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि से मुक्त होगी। **निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों के दौरान किसी 01 वर्ष में प्राप्त भुगतान की राशि के बराबर धनराशि/लागत के कार्य हेतु निविदा दी जा सकती है। निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों के दौरान किसी 01 वर्ष में दी जा रही निविदा की राशि के 50 प्रतिशत तक कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक है।**

कार्य अनुबन्ध से पूर्व फर्म/ठेकेदार को कार्य की अनुमानित लागत पर नियमानुसार परफोरमेंस सिक्योरिटी देनी होगी तथा देयक से 01 प्रतिशत लेवर सैस की कटौती भी की जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.	कार्य अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1.	गन्ना अनुसन्धान केन्द्र, काशीपुर में भण्डार कक्ष की छत मरम्मत कार्य।	31,100.00	1000.00 + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी. अथवा जो लागू हो	06 माह	अ, ब, एवं स

सहायक निदेशक– प्रथम (निर्माण)
सहायक निदेशक (निर्माण)

प्रतिलिपिः

1. निदेशक निर्माण एवं संयंत्र/अध्यक्ष भवन समिति।
2. उपनिदेशक (नि./सा./जल/वि.)।
3. नियंत्रक।
4. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. सहायक लेखाधिकारी– निर्माण।
6. सुरक्षा अधिकारी।
7. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय बैवसाइड, प्रौद्योगिक महाविद्यालय।
8. समस्त पंजीकृत ठेकेदार/सूचना पट।
9. लोक निर्माण विभाग/उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद/उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।